1929 (18)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2001/भाद्र 13, 1923

No. 239] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2001/BHADRA 13, 1923

भारत सरकार मंत्रालय के दिनांक को प्राप्त।

प्रभारी

10-9-01

P.O-265

K.M. 5
DePH 15
Advt 5
C.P.B. 240

पृष्ठ किया

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2001

प्रभारी
रा० शि० एकक

फा. सं. 9-3/2001/राअशिप.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) की धारा (च) तथा (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियमों में और आगे संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक) बनाती है :

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम, 1998.

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में एम.एड. तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में एम.एड. के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998.

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998.

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2000; तथा

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

331

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. के लिए मानक और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2000.

2. इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानक और मानदंड) विनियम, 2001 कहा जाए ।

3. ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

4. ये विनियम मौजूदा विनियमों को, नीचे दी गयी तालिका में निर्दिष्ट विनियम के सामने दर्शायी गयी सीमा तक संशोधित करते हैं :

क्र.सं.	राजपत्र अधिसूचना और तारीख	विनियमों का शीर्षक	मौजूदा प्रावधान	संशोधन की सीमा
1.	फा.सं. 28-11/95 एनसीटीई दिनांक 29.12.1998	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम, 1998.	(i)संशोधित विनियम, 1998 के साथ संलग्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों (प्रारंभिक) के लिए मानदंड और मानक । (ii) संस्थान विनियम 1998 के साथ संलग्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों (माध्यमिक) के लिए मानदंड और मानक ।	(i)इस अधिसूचना के परिशिष्ट 1 'प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक' द्वारा प्रतिस्थापित । (ii) इस अधिसूचना के परिशिष्ट II 'माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक' द्वारा प्रतिस्थापित ।

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

2.	फा.सं. 1-36/2000 एनसीटीई दिनांक 20.11.2000	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2000.	प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की पात्रता/अवधि में ढील से सम्बन्धित पैरा 7.0.	इस अधिसूचना के परिशिष्ट I में धारा 11 के रूप में जोड़ा गया ।
3.	फा.सं. 28-2/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	(i)राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में एम.एड. तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में एम.एड. के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998.	(i) विनियमों का परिशिष्ट I - शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.एड.).	इस अधिसूचना के परिशिष्ट III "शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.एड.) के लिए मानदंड और मानक" द्वारा प्रतिस्थापित ।

Attested

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

233

			(ii) एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम-मौजूद नहीं के लिए मानदंड और मानक ।	एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम के मानदंड और मानक वही होंगे जो कि इस अधिसूचना के परिशिष्ट IV में निर्दिष्ट हैं ।
4.	फा.सं. 28-3/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों - सी.पी.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998.	परिशिष्ट-I शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम (सी.पी.एड.) के लिए मानदंड और मानक। (2 वर्ष)	इस अधिसूचना के परिशिष्ट V "शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सी.पी. एड.) के लिए मानदंड और मानक" द्वारा प्रतिस्थापित ।
			परिशिष्ट-II स्नातकोत्तर डिप्लोमा/बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के लिए मानदंड तथा मानक । (दो वर्ष की अवधि)	इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI 'बी.पी.एड.' कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक द्वारा प्रतिस्थापित ।
			परिशिष्ट-III शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए मानदंड तथा मानक । (दो वर्ष)	इस अधिसूचना के परिशिष्ट VII "में शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.पी.एड.) के लिए मानदंड तथा मानक" द्वारा प्रतिस्थापित ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

5.	फा.सं. 1-36/2000 एनसीटीई दिनांक 20.11.2000	एनसीटीई (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम - सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. के लिए मानदंड तथा मानक) (संशोधन) विनियम, 2000.	शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की पात्रता/ अवधि में ढील से सम्बन्धित पैरा 7.0.	इस अधिसूचना के परिशिष्ट V में धारा 11 के रूप में जोड़ा गया ।

5. यहां अधिसूचित मानदंड और मानक न्यूनतम और अनिवार्य हैं । संस्थानों को अपने भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र को और आगे सुदृढ़ बनाना चाहिए ।

6. किसी भी संस्थान को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे स्थायी मान्यता प्रदान न कर दी गई हो और उसने कोई अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम 3 वर्ष तक लगातार नहीं चलाया हो ।

7. यदि विनियमों के प्रावधानों का निष्पादन करने में पेश आयी किसी कठिनाई के निवारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो परिषद्, संस्थानों की किसी एक श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो जरूरी समझी जाएं ढील दे सकती है जिसके कारण लिखित रूप में दर्शाये जाने होंगे ।

8. ये विनियम उन संस्थानों के मामले में भी लागू होंगे जिन्हें एनसीटीई द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है । तथापि इन विनियमों के अनुसार दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में किसी संशोधन के मामले में ऐसे संस्थानों को निर्धारित फार्म में, मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में एनसीटीई द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख के पूरा होने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

335

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड विनियम, 2001) का परिशिष्ट-I.

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए अध्यापक तैयार करना है ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 50 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा ।

3. पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए पात्र हैं ।

(ख) दाखिले, राज्य सरकार की नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे ।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

Attested

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4. पाठ्यचर्या निष्पादन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) एक वर्ष में दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे। इसके अलावा प्रत्येक प्रशिणार्थी अध्यापक को निकटस्थ प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) आधारिक विषयों के शिक्षण के अलावा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या के विषयों जैसेकि प्रादेशिक भाषा/मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की पद्धतियों के लिए प्रावधान होगा ।

(ग) 50 अथवा उससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा उससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) के यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान तथा कम से कम पांच लेक्चरर होने चाहिएं । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी ।

(घ) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शिक्षण विधि पाठ्यक्रमों तथा आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।

(ड.) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि विषयों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं ।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल/प्रधान

(i) शैक्षणिक और व्यावहारिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं ।

(ii) प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

(ख) लेक्चरर

55% अंकों के साथ एम.ए./एम.एड.(शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड, बेहतर हो कि प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त हो ।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा बी.एड., बेहतर हो कि प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता और मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पांच वर्ष के शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटा कर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि पढ़ाने के लिए शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के निमित्त शिक्षण क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए, प्रिंसीपल और संकाय सदस्यों के लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) तथा अध्यापक शिक्षा पर पत्रिकाएं और प्रारंभिक स्तर से सम्बन्धित अन्य साफ्टवेयर मौजूद हों ।

(ग) खेल के एक मैदान सहित खेल-कूद सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

अन्यथा सम्बद्ध स्कूल अथवा स्थानीय निकाय में उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां स्थान की कमी हो जैसेकि महानगरों के शहर/पर्वतीय क्षेत्र, वहां योग, इन्डोर गेम्स के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जाएं ।

(घ) भवन और बाहरी स्थान, प्रबन्धक वर्ग/संस्थान द्वारा अपने स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर अपने स्वामित्व की भूमि में से उपलब्ध कराया जाएगा । तथापि शुरूआत में संस्थान, अधिकाधिक 3 वर्ष की अवधि तक यह सुविधाएं अस्थायी परिसर में उपलब्ध करा सकता है और इस अवधि के दौरान संस्थान अपने स्थायी परिसर में अंतरित हो जाएगा।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) मनोविज्ञान और विज्ञान खंडों सहित एक बहुप्रयोजन शैक्षिक प्रयोगशाला और उसके साथ सम्बद्ध एक कार्यशाला होगी ।

(i) विज्ञान खंड में प्रारंभिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रयोगों का निदर्शन करने के लिए आवश्यक उपकरण और रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होंगे ।

(ii) मनोविज्ञान खंड में निम्न परीक्षण आयोजित करने के लिए सुविधाएं होंगी; संवेदी-मोटर, बुद्धिमत्ता (निष्पादन, मौखिक तथा गैर-मौखिक) अभिवृत्ति, व्यक्तित्व तथा प्रक्षेपीय परीक्षणों सहित रुचि सूचियां : साधारण पैजिशियन और ब्रूनेरियन प्रयोग करने की व्यवस्था ।

(ख) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाएं होंगी ।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता प्रदान करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा

2765 GI/2001—2

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

339

संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

(घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

(ड.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।

(च) पैंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगी किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

(ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

11. पात्रता/पाठ्यक्रम की अवधि में ढील

क्योंकि कुछ राज्यों में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधि केवल एक वर्ष है और ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्रता 10वीं कक्षा पास है अतः ऐसे राज्यों को अपने कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों और मानकों के अनुरूप लाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के अन्त तक का समय दिया जाता है । इस बीच पाठ्यक्रम की घटी हुई अवधि जो कि एक वर्ष से कम नहीं होगी तथा/अथवा न्यून पात्रता मानदंड के लिए जो कि कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक सहित 10वीं कक्षा पास से कम नहीं होंगे इस शर्त के अध्यधीन मान्यता दी जा सकती है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के मामले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र केवल उसी राज्य में नौकरी के लिए वैध होगा और यह कि ऐसे पाठ्यक्रम उनकी अवधि और दाखिले के मानदंडों सहित वे पाठ्यक्रम हैं जो कि उस राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के लागू होने की तारीख को मौजूद थे ।

27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

340

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2001 का परिशिष्ट II

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. के रूप में कहा जाता है का उद्देश्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करना है।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए 100 छात्रों का एक यूनिट होगा । प्रभावी पाठ्यचर्या निष्पादन के लिए छात्रों को संस्थान स्तर पर उपयुक्त समूहों में विभाजित किया जा सकता है ।

3. पात्रता

(क) दाखिले के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 2 स्कूल विषयों सहित कम से कम 45% अंकों के साथ बी.ए./एम.ए. पास प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं ।

(ख) दाखिले राज्य सरकार/विश्वविद्यालय जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

341

4. **पाठ्यचर्या निष्पादन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता**

(क) एक वर्ष में दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे । इसके अलावा प्रत्येक प्रशिणार्थी अध्यापक को निकटस्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) माध्यमिक अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों में आधारिक पाठ्यक्रम पढ़ाने के अलावा माध्यमिक स्तर पर 5 स्कूल विषयों में से 2 विषय (प्रादेशिक भाषा/मातृ भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामजिक विज्ञान) की शैक्षणिक विधि अथवा उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय क्षेत्र - विशिष्ट विषयों (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, वाणिज्य आदि की शैक्षणिक विधि के लिए प्रावधान होगा) .

(ग) 100 अथवा उससे कम छात्र दाखिल किए जाने पर अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान और कम से कम 7 लेक्चरर शामिल होंगे । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने पर पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि कर दी जाएगी ।

(घ) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शिक्षण विधि पाठ्यक्रमों तथा आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके ।

(ड.) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि विषयों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं ।

अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल/प्रधान

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है ।

(ii) 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का

Attested

22/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

342

अनुभव किसी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में होना चाहिए ।

(ख) लेक्चरर

(i) 55% अंकों सहित एम.एड/एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा 50% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) पास ।

अथवा

संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड तथा किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित 55% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्री । (यह वैकल्पिक योग्यता केवल उन राज्यों के मामले में लागू होगी जहां राअशिप की स्थापना से पूर्व बी.एड. संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति की योग्यता कम से कम बी.एड. सहित किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर डिग्री थी । तथापि इस योग्यता के आधार पर नियुक्त अध्यापकों को 5 वर्षों के भीतर एम.एड. अर्हता प्राप्त करनी होगी) ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटाकर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए ।

(ड.) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता आदि पढ़ाने के लिए अन्य शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता सम्बन्धित राज्य सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ संबद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धन

Attested
Sanjay 27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

343

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) दाखिल किए गए स्वीकृत छात्रों के निमित्त शैक्षणिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए । प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, अब्दकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी-रोम) तथा अध्यापक शिक्षा की पत्रिकाएं मौजूद हों ।

(ग) खेल के एक मैदान सहित खेल-कूद सुविधाएं मौजूद होनी चाहिएं अन्यथा सम्बद्ध स्कूल/कालेज में उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां स्थान की कमी हो जैसे की महानगरों के शहर/पर्वतीय क्षेत्र वहां, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं सुलभ कराई जाएं ।

(घ) भवन और बाहरी स्थान प्रबन्धक वर्ग/संस्थान द्वारा अपने स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर अपने स्वामित्व की भूमि में से उपलब्ध कराए जाएंगे । तथापि शुरूआत में संस्थान इन सुविधाओं को अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दौरान संस्थान अपने स्थायी परिसर में अन्तरित हो जाएगा अस्थायी परिसर में सुलभ कराएगा ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी अन्यथा सम्बद्ध स्कूल/कालेज की विज्ञान प्रयोगशाला का प्रयोग किया जा सकता है । प्रयोगशाला में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निदर्शन करने के लिए अपेक्षित विज्ञान उपकरणों के एक से अधिक सैट उपलब्ध होंगे । रासायनिक पदार्थ आदि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) शैक्षिक मनोविज्ञान, बौद्धिक परीक्षणों (मौखिक या गैर-मौखिक) अभिवृत्ति परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, रुचि सूचियों आदि से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण सहित एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी ।

Attested

27/4/11

344

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली

(ग) भाषा अधिगम के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाएं होंगी ।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साक्षरता के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध तथा शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन विश्वविद्यालय इनमें से जो भी लागू हो उसको नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

(घ) संबंधित सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

(ड.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।

(च) पैंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

(ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित नीधि उपलब्ध रहेगी ।

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

345

IndiaCode

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2001 का परिशिष्ट III

एम.एड.(मास्टर ऑफ एजूकेशन) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

(क) एम.एड. कार्यक्रम जो कि सामान्य अथवा विशेषज्ञतापूर्ण हो सकता है उन प्रत्याशियों के लिए है जो कि पूर्णकालिक आधार पर अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं तथा इसका उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों के एक व्यासायिक संवर्ग का निर्माण करना है ।

(ख) केवल बी.एड. कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय विभाग अथवा संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने के पात्र हैं ।

2. अवधि तथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) एम.एड. कार्यक्रम की अवधि बी.एड. के बाद एक शैक्षणिक वर्ष की होगी।

(ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक नहीं होगी ।

3. पात्रता

(क) कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्रीप्राप्त प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र होंगे ।

(ख) दाखिले राज्य सरकार/विश्वविद्यालय जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(ग) स्थिति अनुसार राज्य/केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित

27/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

346

जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों, महिलाओ आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

4. पाठ्यचर्या निष्पादन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) अनुदेशन, शोध प्रबन्ध के लिए क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 अध्यापन दिवस होंगे ।

(ख) क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध और स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण एम.एड. कार्यक्रम के अनिवार्य घटक होंगे ।

(ग) (i) शोध प्रबन्ध के लिए क्षेत्रीय दौरे की अवधि 4 सप्ताह होगी ।

(ii) क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक अध्यापक के साथ अधिक से अधिक 7 छात्रों को सम्बद्ध किया जाएगा ।

(घ) प्रत्येक एम.एड. छात्र को बी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पर्यवेक्षकों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा ताकि वे अध्यापन में स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का अनुभव अर्जित कर सकें ।

(ड.) 25 अथवा उससे कम छात्रों का दाखिला होने की स्थिति में अध्यापक संकाय में प्रोफेसर/लेक्चरर के स्तर पर एक प्रधान और 3 रीडर/लेक्चरर शामिल होंगे । दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त 5 अथवा उससे कम छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर नियुक्त किया जाएगा ।

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रोफेसर

- एम.एड. अथवा एम.ए. (शिक्षा)
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित अनुसंधान कार्य
- स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव

अथवा

प्रमाणित ख्याति प्राप्त एक ऐसा असाधारण विद्वान जिसने विद्या में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो ।

2765GI/2001—3

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

347

IndiaCode

(ख) रीडर

- एम.एड. अथवा एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।
- अध्यापक शिक्षा का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

(ग) लेक्चरर

- 55% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

अथवा

- 50% अंकों के साथ एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) सहित संगत स्कूल विषय में 55% अंकों के साथ एम.ए. की डिग्री सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रत्याशियों के मामलों में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील दी जाए अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटाकर 50% कर दिया जाए ।

(ड.) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं हों ।

6. **प्रशासनिक स्टाफ**

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. **आधारिक सुविधाएं**

(क) अनुमोदित संख्या में छात्रों के निमित्त शैक्षणिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूम, हाल, संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशाला स्थल उपलब्ध होने चाहिए, प्रधान/प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर उपलब्ध होना चाहिए । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) वाचनालय सुविधा सहित एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें अध्यापक

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

348

शिक्षा के बारे में उपयुक्त संख्या में पुस्तकें, इलैक्ट्रानिक प्रकाशन, (सीडी-रोम) तथा पत्रिकाएं और अन्य सम्बन्धित साफ्टवेयर मौजूद हों ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

अध्यापक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साक्षरता प्रदान करने और डिजिटिल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला तथा मनोविज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध होंगी । मनोविज्ञान प्रयोगशाला में पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध परीक्षणों और प्रयोग करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली में ये शामिल होंगे : बुद्धिमत्ता (मौखिक, गैर मौखिक तथा निष्पादन) तथा व्यक्तित्व परीक्षण और अभिवृत्ति परीक्षण । साथ ही उपयुक्त संख्या में अभिवृत्ति परीक्षण, रुचि सूचियों आदि का भी समुचित मात्रा में भण्डार रखा जाएगा ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

(घ) संबंधित सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

(ड.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।

(च) पैंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।

Abhishek
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेक्रिल लाइन्स, दिल्ली-54

349

IndiaCode

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

(ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित नीधि उपलब्ध रहेगी ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2001 का परिशिष्ट IV

एम.एड.(मास्टर ऑफ एजूकेशन) (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

(क) एम.एड. (मास्टर ऑफ एजूकेशन) (अंशकालिक) कार्यक्रम अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रबन्धकों के लिए एक सेवाकालीन व्यावसायिक कार्यक्रम है ताकि अध्यापक प्रशिक्षकों के संवर्ग का सुदृढ़ीकरण हो सके ।

(ख) केवल एम.एड. कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) इस शर्त के अधीन एम.एड. (अंशकालिक) चलाने के पात्र हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया हो ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) एम.एड. (अंशकालिक) पाठ्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

350

(ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 40 से अधिक नहीं होगी ।

3. **पात्रता**

सेवारत ऐसे अध्यापक और शैक्षिक प्रबन्धक जिनके पास कम से कम 2 वर्ष का अध्यापन/प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो तथा जिन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड. की डिग्री पास की हो इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं ।

4. **पाठ्यचर्या निष्पादन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता**

(क) सिर्फ इस बात को छोड़कर कि इस पाठ्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम सभी शैक्षणिक अपेक्षाओं की दृष्टि से एम.एड. कार्यक्रम के समान होगा ।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम के संकाय के अलावा एम.एड. (अंशकालिक) पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षेत्र-आधारित शोध प्रबन्ध आदि कार्य के लिए एक अध्यापक के साथ अधिक से अधिक 7 छात्र सम्बद्ध किए जाएं ।

(ग) पाठ्यचर्या निष्पादन की कुल अवधि वही होगी जो कि एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित है किन्तु उसे 2 शैक्षणिक वर्षों के बीच बांट दिया जाएगा ।

(घ) शोध प्रबन्ध संबंधी कार्य तथा बी.एड. पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अध्यापन कार्यक्रम में स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का प्रत्यक्ष अनुभव अर्जित करने के निमित्त एम.एड. (अंशकालिक) छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध रहना होगा ।

5. **अध्यापन स्टाफ की योग्यता**
6. **प्रशासनिक स्टाफ**
7. **आधारिक सुविधाएं**
8. **अनुदेशात्मक सुविधाएं**
9. **स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें**
10. **वित्तीय प्रबन्ध**

→ इन पक्षों के सम्बन्ध में एम.एड. के लिए यथानिर्धारित मानदंड आवश्यक संशोधनों सहित एम.एड (अंशकालिक) कार्यक्रमों के मामले में भी लागू होंगे ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

351

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक) विनियम, 2001 का परिशिष्ट V

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करना है ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) सी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन तथा भौतिक और अनुदेशात्मक आधारिक तंत्र और अध्यापन स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा ।

3. पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं । जिन प्रत्याशियों ने राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) में अंकों का प्रतिशत कम से कम 40 होना चाहिए ।

(ख) दाखिले अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे और ऐसा करते समय राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/प्रवीणता को वरीयता दी जाएगी ।

Attested
27/4
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

352

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

4. **पाठ्यचर्या निष्पादन और अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता**

(क) एक वर्ष में दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे । इसके अलावा प्रत्येक प्रशिणार्थी अध्यापक को निकटस्थ प्रारंभिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) 50 अथवा उससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा उससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) के यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापन संकाय में प्रिंसीपल/प्रधान तथा कम से कम पांच लेक्चरर होने चाहिए । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों का दाखिला किए जाने की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जाएगी।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता की प्रकृति तथा स्तर सुनिश्चित हो सके ।

(घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाए ।

5. **अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं**

(क) **प्रिंसीपल**

शारीरिक शिक्षा पढ़ाने में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित एम.पी.एड./एम.पी.ई

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

353

(ख) **लेक्चरर**

55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड बेहतर हो यदि प्रारंभिक स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त हो ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटाकर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) कोच और चिकित्साधिकारी की अर्हताएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

6. **प्रशासनिक स्टाफ**

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. **आधारिक सुविधाएं**

(क) छात्रों के अनुमोदित दाखिले के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के निमित्त आवश्यक आकार का एक बहुप्रयोजन हाल, उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी । अनुदेशात्मक स्थान प्रति छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) बाहरी खेल-कूद के लिए एक बहुप्रयोजन खेल का मैदान और एक 200 मीटर लम्बा ट्रेक और व्यायाम तथा इन्डोर खेल-कूद के लिए एक हाल होगा ।

अथवा

पर्वतीय क्षेत्रों और बड़े शहरों में जहां खाली स्थान की उपलब्धता मुश्किल होती है वहां बाहरी खेल-कूदों के लिए यथाव्यवहार्य सीमा तक सुविधाएं और इन्डोर खेलों/खेलकूद, योग, एरोबेटिक्स, व्यायाम आदि के लिए हाल/व्यायामशाला उपलब्ध कराई जाएगी ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

354

IndiaCode

(ग) विभिन्न इन्डोर तथा बाहरी खेलों/खेलकूद के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद होंगे ।

(घ) शारीरिक शिक्षा और सम्बन्धित विषयों पर उपयुक्त संख्या में पुस्तकों, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन, (सीडी-रोम) तथा पत्रिकाएं और अन्य संगत साफ्टवेयर से युक्त एक पुस्तकालय होगा ।

(ड.) भवन और बाहरी स्थान प्रबन्धक वर्ग/संस्थान द्वारा अपने स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर अपने स्वामित्व की भूमि में से उपलब्ध कराए जाएंगे । तथापि शुरूआत में संस्थान इन सुविधाओं को अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दौरान संस्थान अपने अस्थायी परिसर में अन्तरित हो जाएगा अस्थायी परिसर में सुलभ कराएं ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) निम्न अनिवार्य उपकरणों सहित स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी :

(i) एक मानक भार तुला ।
(ii) एक मानवमितिमापी ।
(iii) विकास चार्ट और शरीर प्रणाली चार्ट ।
(iv) वांछनीय भार/लम्बाई तालिका ।
(v) शरीर के अवयवों/प्रणालियों के माडल
(vi) संधियुक्त/गैर-संधियुक्त अस्थिपंजर ।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साक्षरता प्रदान करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

(घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

FinCode

अथवा

कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक और जिसने खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबन्ध, खेलकूद कोचिंग, योग, ओलम्पिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो ।

(ख) दाखिले राज्य सरकार की नीति के अनुसार अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे और ऐसा करते समय शारीरिक स्वस्थता/प्रवीणता को वरीयता दी जाएगी ।

(ग) संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

4. पाठ्यचर्या निष्पादन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता

(क) एक वर्ष में दाखिले, परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 150 अध्यापन दिवस होंगे । इसके अलावा प्रत्येक प्रशिणार्थी अध्यापक को निकटस्थ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 30 दिन तक अध्यापन (अध्यापन-अभ्यास/कौशल विकास सहित) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) 50 या उससे कम छात्रों के दाखिल होने की स्थिति में अध्यापन संकाय में एक प्रिंसीपल/प्रधान और कम से कम 3 लैक्चरर शामिल होंगे । निर्धारित यूनिट से अधिक छात्रों के दाखिल होने पर पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या में अनुपातिक रूप से वृद्धि कर दी जाएगी ।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार विभाजित की जाएगी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता की प्रकृति तथा स्तर सुनिश्चित हो सके ।

(घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाए ।

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

358

5. अध्यापन स्टाफ की योग्यता

(क) प्रिंसीपल

- एम.पी.एड./एम.पी.ई.
- पी.एच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य
- शारीरिक शिक्षा पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव

(ख) लेक्चरर

- 55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई. सहित उत्तम शैक्षिक रिकार्ड

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के मामले में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील प्रदान की जाएगी अर्थात अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटाकर 50% कर दिया जाएगा ।

(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए ।

(ड.) कोच/चिकित्सा अधिकारी की योग्यताएं सम्बन्धित सम्बन्धन विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

6. प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. आधारिक सुविधाएं

(क) अनुमोदित संख्या में दाखिल किए गए छात्रों के निमित्त अनुदेशात्मक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों तथा अपेक्षित आकार के एक बहुप्रयोजन हाल, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

India Code

लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा ।

(ख) बाहरी खेल-कूद के लिए एक बहुप्रयोजन खेल का मैदान होगा एक 200 मीटर लम्बा ट्रेक और व्यायाम तथा इन्डोर खेल-कूद के लिए एक हाल होगा ।

अथवा

अन्यथा पर्वतीय क्षेत्रों और बड़े शहरों में जहां खाली स्थान की उपलब्धता मुश्किल होती है वहां बाहरी खेल-कूदों के लिए यथाव्यवहार्य सीमा तक सुविधाएं और इन्डोर खेलकूद, योग, एरोबिक्स, व्यायाम आदि के हाल/व्यायामशाला उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ग) विभिन्न इन्डोर तथा बाहरी खेलों/खेलकूद के लिए उपयुक्त उपकरण मौजूद होंगे ।

(घ) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, अब्दकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी-रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पत्रिकाएं तथा अन्य संगत साफ्टवेयर सहित एक पुस्तकालय होगा ।

(ड.) भवन और बाहरी स्थान प्रबन्धक वर्ग/संस्थान द्वारा अपने स्वामित्व अथवा दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर अपने स्वामित्व की भूमि में से उपलब्ध कराया जाएगा । तथापि शुरूआत में संस्थान इन सुविधाओं को अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दौरान संस्थान अपने स्थायी परिसर में अन्तरित हो जाएगा अस्थायी परिसर में सुलभ कराए ।

8. अनुदेशात्मक सुविधाएं

(क) शैक्षिक मनोविज्ञान - बुद्धिमत्ता परीक्षणों (निष्पादन, मौखिक, गैर-मौखिक) अभिवृत्ति परीक्षणों, सृजनात्मकता परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, अभिरुचि परीक्षणों और रुचि सूचियों आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

(ख) निम्न अनिवार्य उपकरणों सहित एक स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी :

(i) मानक भार तुला ।
(ii) मानवमिति मापी ।
(iii) विकास चार्ट ।
(iv) वांछनीय भार/लम्बाई तालिकाएं ।
(v) स्किनफोल्ड केलीपर ।
(vi) शरीर के अवयवों/प्रणालियों के माडल, संधियुक्त और गैर-संधियुक्त अस्थिपंजर ।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी (आंईटी) साक्षरता प्रदान करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी।

9. स्टाफ की सेवा के उपबंध और शर्तें

(क) नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान संबंधित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्तियां कर सकते हैं ।

(घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

(ड.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।

(च) पैंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

361

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगा किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

(ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित नीधि उपलब्ध रहेगी ।

Attested

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

362

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड विनियम, 2001) का परिशिष्ट-VII

एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजूकेशन.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

(क) एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजूकेशन.) कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रखने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए तथा माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक व्यावसायिक संवर्ग निर्मित करने के लिए है।

(ख) केवल वही विश्वविद्यालय विभाग अथवा संस्थान जो कि बी.पी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं, एम.पी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं ।

2. अवधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) एम.पी.एड. (मास्टर ऑफ फिजीकल एजूकेशन.) कार्यक्रम की अवधि कम से कम 2 शैक्षणिक वर्ष होगी ।

(ख) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी ।

3. पात्रता

(क) कम से कम 50% अंकों सहित बी.पी.एड अथवा कम से कम 50% अंकों सहित बी.पी.ई (3 वर्ष) से युक्त प्रत्याशी दाखिले के लिए पात्र हैं ।

(ख) दाखिले राज्य सरकार और विश्वविद्यालय जिसके साथ संस्थान सम्बद्ध है उसकी नीति के अनुसार या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे ।

2765 GI/2001—5

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

(ग) स्थितिअनुसार राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों तथा महिलाओं आदि के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।

4. **पाठ्यचर्या निष्पादन तथा अध्यापन स्टाफ की आवश्यकता**

(क) शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 शिक्षण दिवस होंगे ।

(ख) 30 अथवा उससे कम छात्रों (2 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 60 अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता सहित) का दाखिला होने की स्थिति में अध्यापन संकाय में प्रोफेसर/रीडर के स्तर का एक प्रधान तथा 4 रीडर/लेक्चरर शामिल होंगे।

(ग) प्रत्येक एम.पी.एड. छात्र को बी.पी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले पर्यवेक्षकों के साथ सम्बद्ध रहना होगा जिससे कि अध्यापन में स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने और उसका पर्यवेक्षण करने का अनुभव प्राप्त कर सकें ।

(घ) पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञता के जिन विषयों को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उनसे इतर विशेषज्ञता के जिन कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अंशकालिक कोच और एक अंशकालिक चिकित्साधिकारी नियुक्त किया जाए ।

5. **अध्यापन स्टाफ की योग्यताएं**

(क) प्रोफेसर

- एम.पी.एड. अथवा एम.पी.ई
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य ।
- एम.पी.एड./एम.पी.ई. कार्यक्रमों में पढ़ाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

अथवा

प्रमाणित ख्यातिप्राप्त एक ऐसा असाधारण विद्वान जिसने विद्या में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया हो ।

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

364

IndiaCode

(ख) **रीडर**

- कम से कम 50% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।
- पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य ।
- बी.पी.एड./एम.पी.एड/एम.पी.ई. कार्यक्रमों में पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

(ग) **लेक्चरर**

- 55% अंकों के साथ एम.पी.एड./एम.पी.ई सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड ।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के प्रत्याशियों के मामलों में एम.ए. स्तर पर 5% की ढील दी जाए अर्थात् अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 55% से घटाकर 50% कर दिया जाए ।

(ड.) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्धारित योग्यताओं के अलावा प्रत्याशियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि जैसे अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं हों ।

(च) कोच/चिकित्साधिकारी की योग्यताएं सम्बन्धित सम्बन्धन विश्वविद्यालय/ यूजीसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार होंगी ।

6. **प्रशासनिक स्टाफ**

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ सम्बद्ध राज्य सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराया जाए ।

7. **आधारिक सुविधाएं**

(क) अनुमोदित संख्या में दाखिल किए गए छात्रों के निमित्त अनुदेशात्मक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए उपयुक्त संख्या में क्लासरूमों तथा अपेक्षित आकार के एक बहुप्रयोजन हाल, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक स्टोर की

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

365

व्यवस्था होगी । अनुदेशात्मक स्थल का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा ।

(ख) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, अब्दकोशों, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी-रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पत्रिकाएं तथा अन्य संगत साफ्टवेयर सहित एक पुस्तकालय होगा ।

(ग) इन्डोर खेलों के लिए एक बहुप्रयोजन हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं होंगी ।

(घ) विभिन्न इन्डोर तथा आउटडोर खेलकूद और खेलों के लिए उपयुक्त उपकरण होंगे ।

8. **अनुदेशात्मक सुविधाएं** .

(क) निम्न उपकरणों सहित स्वास्थ्य शिक्षा, भौतिक चिकित्सा तथा खेलकूद औषध प्रयोगशाला होगी :

(i) एक मानक भार तुला ।
(ii) मानव मितिमापी/ऊंचाई मापी स्टैंड ।
(iii) वांछनीय भार/ऊंचाई तालिकाएं ।
(iv) अवरक्त लैंप ।
(v) पेराबैंगनी लैंप ।
(vi) शार्टवेव डायाथर्मी ।
(vii) मोटराइज्ड ट्रेडमिल ।
(viii) बाइसिकल इर्गोमीटर ।
(ix) बी.पी. उपकरण ।
(x) हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट उपकरण ।

(ख) शैक्षिक मनोविज्ञान - बुद्धिमत्ता परीक्षणों (निष्पादन, मौखिक, गैर-मौखिक) अभिवृत्ति परीक्षणों, सृजनात्मकता परीक्षणों, व्यक्तित्व परीक्षणों, अभिरुचि परीक्षणों और रुचि सूचियों आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी ।

(ग) निम्न उपकरणों सहित एक शरीर विज्ञान प्रयोगशाला होगी
(i) मेट्रोनोमस -1

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

(ii) विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के माडल और चार्ट
(iii) स्टापवाच - 5
(iv) स्पाईरोमीटर - 2
(v) इलैक्ट्रानिक बैरोमीटर
(vi) भार तुला -2
(vii) पीक फ्लो मीटर
(viii) गोनियोमीटर -1
(ix) डायनोमीटर (हैंड, लैग, बैक) प्रत्येक के लिए -1

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) साक्षरता प्रदान करने और अध्यापन में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी ओर मीडिया प्रयोगशाला होगी ।

9. स्टाफ की सेवा के उपबन्ध और शर्तें

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/सम्बन्धन विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी लागू हो की नीति के अनुसरण में गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएं ।

(ग) सरकारी संस्थान/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थान सम्बन्धित सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त निकायों द्वारा अनुशंसित उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में अन्तरिम उपाय के रूप में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर नियुक्ति कर सकते हैं।

(घ) संबंधित सरकार के मानदंडों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ।

(ड.) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा ।

(च) पैंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा की जाएगी ।

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

367

IndiaCode

(छ) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु का निर्धारण सम्बन्धित सरकार की नीति के आधार पर होगी किन्तु शर्त यह है कि अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. वित्तीय प्रबन्ध

(क) शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दरों पर लिए जाएंगे ।

(ख) निजी और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों के मामले में प्रबन्धक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5 लाख रुपये की एक स्थायी निधि तथा स्टाफ के 3 महीने के वेतन के समकक्ष एक आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी ।

एस. के. रॉय, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

Attested
27/4/11
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2001

F. No. 9-3/2001/NCTE.— In exercise of the powers conferred under Clauses (f) and (h) of sub-section (2) of Section 32 read with Sections 14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (NORMS AND STANDARDS FOR RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION PROGRAMMES) REGULATIONS, 2001 to further amend the following Regulations :-

(i) National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 1998;

(ii) National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed. face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998;

(iii) National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of teacher education programmes in Physical Education – C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed) Regulations, 1998;

(iv) National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start a new course or training) (Amendment) Regulations, 2000; and

IndiaCode

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

369

(v) National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of teacher education programmes in Physical Education – C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) (Amendment) Regulations, 2000.

2. These Regulations may be called the NATIONAL COUNCIL FOR TEAHCER EDUCATION (NORMS AND STANDARDS FOR RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION PROGRAMMES) REGULATIONS, 2001

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

4. These Regulations modify the existing Regulations to the extent indicated in the following table against each of them :

S.No	Gazette Notification & Date	Title of Regulations	Existing Provisions	Extent of Modification
1.	F.No. 28-11/95 NCTE dt. 29.12.1998	National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 1998;	(i) Norms and standards for teacher education institutions (Elementary) appended to the Amendment Regulations, 1998 (ii) Norms and standards for teacher education institutions – Secondary appended to the Amendment Regulations, 1998.	(i) Substituted by Appendix –I, "Norms and standards for Elementary Teacher Education Programme" of this Notification (ii) Substituted by Appendix – II, "Norms and standards for Secondary Teacher Education Programme" of this Notification
2.	F.No.1-36/2000 NCTE dt. 20.11.2000	National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 2000	Para 7.0 relating to relaxation in the eligibility/ duration of the course of Elementary Teacher Education Programme.	Added as Clause II in Appendix – I to this Notification.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

3.	F.No.28-2/98-99/NCTE dt. 29.12.1998	(i) National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed. face to face and M.Ed. through distance education) Regulations, 1998	Appendix – I to the Regulations – Masters in Education Programme (M.Ed.)	Substituted by Appendix – III "Norms and standards for Master of Education Programme (M.Ed.)" to this Notification.
			(ii) Norms and standards for M.Ed (part time) programme Not existing	Norms and standards for Master of Education Programme (part time) will be as in Appendix – IV to this Notification
4.	F.No. 28-3/98-99/NCTE dt. 29.12.1998	National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of teacher education programmes in Physical Education – C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) Regulations, 1998.	Appendix – I Norms and standards for Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed) 2 years	Substituted by Appendix- V "Norms and standards for Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.)" to this Notification
			Appendix – II Norms and standards for PG Diploma/B.P.Ed. Course (2 years duration)	Substituted by Appendix-VI "Norms and standards for B.P.Ed. Programme" to this Notification.
			Appendix- III Norms and standards for Post Graduate Degree Course in Physical Education (2 years)	Substituted by Appendix – VII "Norms and standards for Master in Physical Education Programme (M.P.Ed)" to this Notification.
5.	F.No.1-36/2000 NCTE dt. 20.11.2000	National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of teacher education programmes in Physical Education – C.P.Ed., B.P.Ed. and M.P.Ed.) (Amendment) Regulations 2000.	Para 7.0 relating to relaxation in the eligibility/ duration of Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.)	Added as Clause II in Appendix – V to this Notification.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

2765 GI/2001—6

371

5. The norms and standards herein notified are minimum and essential. The institutions may strengthen further the physical and instructional infrastructure.

6. No institution shall be permitted to apply for enhancement of its intake unless it has been granted permanent recognition and has continuously run teacher training programme or course for a period of three years.

7. If a request is received from the concerned State Government for removal of any hardship caused in adhering to the provisions of these Regulations, the Council may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of institutions, to such extent and subject to such conditions, as may be considered necessary.

8. These Regulations shall also apply to the institutions that have already been recognised by the National Council for Teacher Education. However, for any revision in the intake as per these Regulations, such institutions shall be required to submit application in the prescribed form to the concerned Regional Committee before expiry of the last date prescribed by NCTE for submission of application for recognition.

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

indiacode

Appendix I to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

NORMS AND STANDARDS FOR ELEMENTARY TEACHER EDUCATION PROGRAMME

1. Preamble

The elementary teacher education programme is meant for preparing teachers for elementary schools (primary and upper primary/middle).

2. Duration and Intake

a) The elementary teacher education programme shall be of a duration of two academic years.

b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff, there shall be a unit of 50 students for intake each year.

3. Eligibility

a) Candidates with at least 45% marks in the senior secondary examination (+2), or its equivalent, are eligible for admission.

b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Government, as per the policy of the State Government.

c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship in teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby elementary schools.

b) Apart from teaching of foundation subjects, there shall be provision for teaching of methods subjects relating to primary and upper primary curriculum, namely, Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science and Social Studies.

c) For a unit of 50 students or less (with combined strength of 100 or less for the two-year course), the full-time teaching faculty shall comprise of the Principal/Head and at least

Attested

27/4/11

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

373

IndiaCode

five lecturers. For intake of students in excess of the prescribed unit, the number of full time teachers shall be increased proportionately.

d) Appointment of teachers should be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching methodology courses and foundation courses.

e) For teaching subjects such as physical education, art, work experience, music, information technology literacy, etc., part-time instructors may be appointed.

5. **Qualifications of Teaching Staff**

a) **Principal/Head**

i. Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of Lecturer.

ii. At least five years' experience of teaching in elementary teacher education institutions.

b) **Lecturer**

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks, preferably with specialisation in elementary education.

OR

Good Academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), or B.Ed. preferably with specialisation in elementary education, and with five years' teaching experience in recognised elementary schools.

c) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for SC/ST Category.

d) Qualifications for other academic staff for teaching physical education, art, work experience, information technology literacy, etc. shall be as prescribed by the concerned State Government.

6. **Administrative Staff**

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government.

7. **Infrastructural Facilities**

a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of students, rooms for the principal and faculty members, and office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

b) There shall be a library equipped with text and reference books relating to prescribed courses of study, education encylopedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on teacher education and other software relevant to the elementary stage.

c) There shall be games facilities with playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.

d) The building and outdoor space shall be provided in the land owned by the management/institution either on ownership basis or on long-term lease. However, to begin with, the institution may provide these facilities in temporary premises upto a maximum period of three years, during which time the institution shall shift to its own permanent location.

8. Instructional Facilities

a) There shall be a multi-purpose educational laboratory with psychology and science sections, and a workshop attached to it.
 i. The science section shall have the apparatus and chemicals required to demonstrate all the experiments as per the syllabus of elementary schools.
 ii. The psychology section shall have facilities for conducting the following tests Sensory-motor, Intelligence (Performance, Verbal and Non-verbal), Aptitude, Personality and Interest Inventories including Projective Tests : provision for conducting simple Piagetian and Brunnerian experiments.

b) There shall be hardware and software facilities for language learning.

c) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

a) The appointments shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government institutions/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

375

e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.

g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.

b) In case of private and unaided institutions, there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Relaxation in eligibility/duration of the course

As in some States, the duration of the elementary teacher education course is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such States are given time up to the end of academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course, which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 50% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that State only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-

Appendix II to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

NORMS AND STANDARDS FOR SECONDARY TEACHER EDUCATION PROGRAMME

1. **Preamble**

The secondary teacher education programme, commonly known as B.Ed., is meant for preparing teachers for secondary/senior secondary schools.

2. **Duration and Intake**

a) The B.Ed. programme shall be of a duration of at least one academic year.

b) There shall be a unit of 100 students for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff. Division into appropriate batches may be done at the institutional level for effective curriculum transaction.

3. **Eligibility**

a) Candidates with at least 45% marks in the Bachelor's/Master's Degree with at least two school subjects at the graduation level are eligible for admission.

b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University, to which the institution is affiliated.

c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

4. **Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff**

a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship-in-teaching (including practice teaching and skill development) for at least 30 days in nearby secondary/senior secondary schools.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

377

b) Apart from teaching of foundation courses, there shall be provision for methodology of teaching two out of five school subjects at the secondary level (Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science, Social Sciences), or discipline-specific subjects at the senior secondary level (Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, History, Geography, Political Science, Economics, Commerce etc.)

c) For an intake of 100 students or less, the teaching faculty shall comprise of Principal/Head and at least seven lecturers. For intake of students in excess of the prescribed limit, the number of full time teachers shall be increased proportionately.

d) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching methodology courses and foundation courses.

e) For teaching subjects such as physical education, art, work experience, information technology literacy, etc., part-time instructors may be appointed.

5. **Qualifications of Teaching Staff**

a) **Principal/Head**

i) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of Lecturer.

ii) Ten years' experience of which atleast five years should be in a secondary teacher education institution.

b) **Lecturer**

Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

OR

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks

OR

Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject and a B.Ed. Degree with 55% marks, with five years' teaching experience in a recognised secondary/senior secondary school. (This alternatively qualification shall be applicable only in those States where prior to the establishment of the NCTE, the qualification for appointment of teachers in B.Ed. institutions was a Post-graduate Degree

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

in a school subject with B.Ed. However, teachers appointed with this qualification will have to acquire M.Ed. qualification within five years).

c) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Mas ter's level for the SC/ST Category.

d) Apart from the qualifications prescribed at (a) and (b) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.

e) Qualifications for other academic staff for teaching physical education, art, work experience, information technology literacy, etc. shall be as prescribed by the concerned affiliating University/UGC.

6. **Administrative Staff**

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.

7. **Infrastructural Facilities**

a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of 100 students, separate rooms for the principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional spaces shall not be less than 10 sq. ft. per student

b) There shall be a library equipped with text and reference books related to the prescribed courses of study, educational Encyclopedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on teacher education.

c) There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school/college may be utilised and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.

d) The building and outdoor space shall be provided in the land owned by the management/institution either on ownership basis or on long-term lease. However, to begin with, the institute may provide these facilities in a temporary premises upto a maximum period of three years, during which time the institution shall shift to its own permanent location.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

2765 GI/2001—7

379

8. **Instructional Facilities**

a) There shall be a science laboratory or alternatively, science laboratory of the attached school/college may be used. The laboratory shall have multiple sets of science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the syllabus for secondary/senior secondary classes. Chemicals, etc. should be provided in the required quantity.

b) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.

c) There shall be hardware and software facilities for language learning.

d) There shall be an educational technology laboratory with hardware and software required for Information Technology (IT) literacy.

9. **Terms and Conditions of Service of Staff**

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central / concerned State Government / Affiliating University, whichever is applicable.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government Institutions / Government-aided institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government/Affiliating University/UGC.

e) The academic and other staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government/Affiliating University subject to maximum age not exceeding 65 years.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

380

10. **Financial Management**

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.

b) In case of private and unaided institutions, there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Appendix III to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

NORMS AND STANDARDS FOR MASTER OF EDUCATION PROGRAMME (M.Ed.)

1. **Preamble**

a) The Master of Education (M.Ed.) programme, which may be general or specialised, is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in teacher education, on full-time basis, and for preparing a professional cadre of teacher educators.

b) Only University Departments or institutions running B.Ed. programme are eligible to offer M.Ed. course.

2. **Duration and Intake**

a) The M.Ed. programme shall be of a duration of one academic year, after B.Ed.

b) The intake of students shall not exceed 40.

3. **Eligibility**

a) Candidates who have obtained at least 55% in the B.Ed. Degree , are eligible for admission.

b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University, to which the institution is affiliated.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

381

c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State/Central Government as the case may be.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

a) There shall be at least 180 teaching days exclusive of period of admission and examination, etc. for instruction, field work for dissertation and internship in a school.

b) Field-based dissertation and internship in school shall be compulsory component of the M.Ed. programme.

c) i) Field visit for dissertation shall be of a duration of four weeks.
ii) Not more than 7 students shall be attached with a teacher for supervision of field-based dissertation work.

d) Each M.Ed. student will be associated with the supervisors of the internship programme of B.Ed. students, for acquiring experience of organising and supervising internship-in-teaching programme.

e) For an intake of 25 students or less, teaching faculty shall comprise of a Head in the rank of Professor/or Reader, and 3 Readers/Lecturers. One additional lecturer shall be appointed for every additional intake of five students or part thereof.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) **Professor**

- M.Ed. or M.A. (Education)
- Ph. D. or equivalent published research work
- At least, 10 years' experience of teaching in teacher education institutions at post graduate level.

Or

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge.

b) **Reader**

- Good academic record with M.Ed. or M.A. (Education)
- Ph.D. or equivalent published research work
- At least 5 years' experience of teacher education

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

382

c) **Lecturer**

- Good academic record with M.Ed./M.A. (Education) with 55% marks.

Or

- Good academic record with Master's Degree with 55% marks in the relevant school subject with M.Ed./M.A. (Education) with 50% marks.

d) A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the master's level for the SC/ST category.

e) Apart from the qualifications prescribed at (a), (b) and (c) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the State Government/University.

7. Infrastructural Facilities

a) There shall be provision for adequate number of classrooms, hall, seminar room, laboratory space for conducting instructional activities for approved intake of students, separate room for Head/Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq. ft. per student.

b) There shall be a library with reading room facility having adequate number of books, electronic publications (CD-ROMs) and journals and other related software on teacher education.

8. Instructional Facilities

There shall be a well-equipped educational technology and media laboratory, and psychology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy and for using digital resources in teacher education. In the psychology laboratory tests and equipment for performing experiments as listed in the curriculum shall be made available. Psychological testing material should include intelligence tests (verbal, non-verbal and performance), personality tests and aptitude tests. Attitude tests, interest inventories, etc. shall also be stocked in adequate quantity.

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

383

9. Terms and Conditions of Service of Staff

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central / concerned State Government / Affiliating University, whichever is applicable.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government institutions / Government-aided institutions may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

d) Appointment of other staff can be made as per the norms of the concerned Government/Affiliating University/UGC.

e) The academic and other staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.

g) The age of superannuation of the staff shall be determined by the policy of the concerned Government/Affiliating University, subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government/Affiliating University.

b) In case of private and unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Attested
27/11/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Appendix IV to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

NORMS AND STANDARDS FOR MASTER OF EDUCATION PROGRAMME (M.Ed.) (Part Time)

1. **Preamble**

a) Master of Education (M.Ed.) (Part Time) is an in-service professional programme open to teachers and educational administrators, for strengthening the cadre of teacher educators.

b) Only University Departments of Education and Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), which run M.Ed. programme, are eligible to offer M.Ed. (Part Time) programme subject to such a course instituted by the concerned affiliating university.

2. **Duration and Intake**

a) The M.Ed. (Part Time) programme shall be of a duration of two academic years.

b) The intake of student shall not exceed 40.

3. **Eligibility**

Teachers and educational administrators in service, with at least two years of teaching/administrative experience, and having at least 55% marks in B.Ed. Degree , are eligible for admission.

4. **Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff**

a) The M.Ed. (Part Time) programme shall be identical to M.Ed. programme in all academic requirements except that its duration shall be two academic years.

b) In addition to the faculty for M.Ed. course, additional teachers for M.Ed. (Part Time) course shall be appointed to ensure that not more than 7 students are attached with a teacher for supervision of field-based dissertation work.

Attested

सहायक निर्यंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

385

IndiaCode

c) Total duration of curriculum transaction shall be the same as required for M.Ed. course except that the same shall be spread over two academic years.

d) For field visit for dissertation work and for acquiring first-hand experience of organising and supervising internship-in-teaching programme for students of B.Ed. course, M.Ed. (Part Time) students shall be required to be available on full-time basis.

5. **Qualifications of Teaching Staff**
6. **Administrative Staff**
7. ***Infrastructural Facilities***
8. **Instructional Facilities**
9. **Terms and Conditions of Service of Staff**
10. **Financial Management**

Norms in respect of these aspects as prescribed for M.Ed. programme shall apply mutatis mutandis for M.Ed. (Part Time) programme as well.

Attested

27/11/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

Appendix V to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

Norms and Standards for Certificate in Physical Education Programme (C.P.Ed.)

1. Preamble

The Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in physical education for elementary schools (primary and upper primary/middle).

2. Duration and Intake

(a) The C.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years.

(b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff, there shall be a unit of 50 students each year.

3. Eligibility

(a) Candidates with at least 45% marks in the senior secondary examination (+2), or its equivalent, are eligible for admission. For those who have participated in State or National level sports events, the minimum percentage of marks in the senior secondary examination (+2) should be at least 40.

(b) Admission should be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Government, with due weightage for physical fitness/proficiency, as per the policy of the State Government.

(c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the concerned State Government.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination, etc. Besides, every teacher trainee shall be required to undergo internship-in- teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby elementary schools.

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

2765 GI/2001—8

387

b) For a unit of 50 students or less (with combined strength of 100 or less for the two year course), the full time teaching faculty should comprise of the Principal/Head and at least five lecturers. For intake of students in excess of the prescribed unit the number of full time teachers shall be increased immediately.

c) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching various courses related to physical education.

d) Part-time coaches for specialisations offered, other than those covered by full-time teachers and a part-time medical officer, shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) Principal

⇨ M.P.Ed./M.P.E. with at least 5 years' experience of teaching physical education.

b) Lecturer

⇨ Good academic record with M.P.Ed/M.P.E with 55% marks, preferably with specialisation in physical education for the elementary stage.

c] A relaxation of 5% may be provided from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for the SC/ST category.

d) Qualifications for coaches and medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned State Government.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government

7. Infrastructural Facilities

a) There shall be no provision for adequate number of classrooms, and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for the approved intake of students, room for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.

b) There shall be a multi-purpose playfield for outdoor sports and a 200 mt. track and a hall for gymnastics and indoor sports and games.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Alternatively, in hilly regions and in big cities where availability of open space is a constraint, facilities for such outdoor sports as are feasible and a hall/gymnasium for indoor sports/games, yoga, aerobics, gymnastics etc. shall be provided.

c) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports/ games.

d) There shall be a library with adequate number of books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.

e) The building and outdoor space shall be provided in the land owned by the management/institution either on ownership basis or on long-term base. However, to begin with, the institution may provide these facilities in temporary premises upto a maximum period of three years during which time the institution shall shift to its own permanent location.

8. Instructional Facilities

(a) There shall be a Health Education & Anatomy and Physiology Laboratory, having the following essential equipment :-

(i) A standard weighing machine
(ii) An anthropometer
(iii) Growth charts and body system charts
(iv) Desirable weight – height tables
(v) Models of body organs/systems
(vi) skeleton articulated / disarticulated

b) There shall be an Education Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the concerned Central/State Government.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government institution/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure in the absence of availability of suitable candidates as per the policy of the concerned Government.

d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.

g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. Financial Management

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.

b) In case of private and unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

11. Relaxation in eligibility/duration of the course

As in some States the duration of the Certificate Course in Physical Education (C.P.Ed.) is one year only and the eligibility for admission to such course is a pass in class ten, such states are given time up to the end of the academic session 2004-2005 to switch over their programmes for bringing them in conformity with the NCTE Norms and Standards. Meanwhile, recognition for reduced duration of the course which shall not be less than one year and/or lower eligibility criteria, which shall not be less than a pass in class ten with at least 45% marks in aggregate, may be given subject to the condition that the certificate given by the State authorities in respect of such a course will be valid for employment within that States only and such courses including their duration and admission criteria are those that have been in existence in that State on the date when the NCTE Act, 1993 came into force.

Attested

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

Appendix VI to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

Norms and Standards for Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Programme

1. Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in physical education for secondary/senior secondary schools.

2. Duration and Intake

a) The B.P.Ed. programme shall be of duration of at least one academic year.

b) For effective curriculum transaction and for ensuring optimum utilisation of physical and instructional infrastructure and expertise of the teaching staff there shall be a unit of 50 students.

3. Eligibility

a) Graduate in Physical Education, i.e. B.P.E. of three year duration, with 45% marks.

Or

Graduate, with at least 45% marks, having represented State/University in sports/games/athletics.

Or

Graduate with at least 45% marks, who has secured 1st, 2nd or 3rd position in inter-collegiate sports/games tournaments/possessing NCC 'C' certificate or passed basic course in adventure sports.

Or

Graduate with at least 45% marks and with one year training programme in sports science, sports management, sports coaching, yoga, Olympic education, sports journalism, etc.

b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, with due weightage for physical fitness/proficiency, as per the policy of the State Government.

c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State Government concerned.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

391

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

a) There shall be at least 150 teaching days in a year exclusive of period of admission, examination etc. Besides, each teacher trainee shall be required to undergo internship-in-teaching (including practice teaching/skill development) at least for 30 days in nearby secondary/senior secondary schools.

b) For an intake of 50 students or less, teaching faculty shall comprise of a Principal/Head and at least three lecturers. For intake in excess of the prescribed unit the number of full time teachers shall be increased proportionately.

c) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching various courses related to physical education.

d) Part time coaches for specialisation offered, other than those covered by full time teachers and a part-time medical officer, shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) Principal

- M.P.Ed./M.P.E
- Ph.D. or equivalent published work
- At least 5 years' experience of teaching physical education.

b) Lecturer

- Good academic record with M.P.Ed./M.P.E with 55% marks

c) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks at the Master's level for the SC/ST category.

d) Apart from the qualifications prescribed at (a) and (b) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.

e) Qualifications for coaches/medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned affiliating university/UGC.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/affiliating university.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

7. Infrastructural Facilities

a) There shall be provision for adequate number of classrooms and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for approved intake of students, room for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. The size of instructional spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student.

b) There shall be a multipurpose playfield for outdoor sports, a 200 mt. track, gymnasium, and a hall for indoor sports and games.

OR

Alternatively, in hilly regions and in big cities, where availability of open space is a constraint, facilities for outdoor sports as are feasible and a hall/gymnasium for indoor sports, games, yoga, aerobics, gymnastics, etc. shall be provided.

c) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports/ games.

d) There shall be a library equipped with text and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopaedia, year books, electronic publication (CD-ROMs), and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.

e) The building and outdoor space shall be provided in the land owned by the management/institution either on ownership basis or on long-term lease. However, to begin with, the institution may provide these faculties in temporary premises upto a maximum period of three years during which time the institution shall shift to its own permanent location.

8. Instructional Facilities

a) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.

b) There shall be a health education and anatomy and physiology laboratory having following essential equipment:-

(i) A standard weighing machine
(ii) An anthropometer
(iii) Growth charts
(iv) Desirable weight and height tables
(v) Skinfold calipers

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

393

(vi) Models of body organs & systems, skelton-articulated and disarticulated

(ii) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) Literacy.

9. Terms and Conditions of Service of Staff

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the concerned Central/State Government.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government institutions/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure in the absence of availability of suitable conditions, as per the policy of the concerned Government.

d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.

e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.

g) The age of superannuation of the staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

10. <u>Financial Management</u>

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.

b) In case of private and unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

Appendix VII to NCTE (Norms and Standards for Teacher Education Programmes) Regulations, 2001.

Norms and Standards for Master of Physical Education Programme (M.P.Ed.)

1. Preamble

a) The Master of Physical Education (M.P.Ed.) programme is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in physical education, and for preparing a professional cadre of physical education teachers at the senior secondary level as well as teacher educators in Colleges of Physical Education and University Departments of Physical Education.

b) Only University Departments or institutions offering B.P.Ed. programme are eligible to offer M.P.Ed. course.

2. Duration and Intake

(a) The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years.

(b) The intake of students shall not exceed 30.

3. Eligibility

a) Candidates with B.P.Ed. with at least 50% marks or B.P.E. (3 years) with at least 50% marks, are eligible for admission.

b) Admission shall be made either on the basis of marks obtained in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the University/State Government, as per the policy of the State Government/University to which the institution is affiliated.

c) There shall be reservation of seats for SC/ST/OBC, Handicapped, Women, etc. as per the rules of the State/ Central Government, as the case may be.

4. Curriculum Transaction and Requirement of Teaching Staff

a) There shall be at least 180 teaching days in each academic year exclusive of period of admission and examination, etc. for instruction, field work and internship in a school.

2765 GI/2001-9

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

b) For an intake of 30 students or less (with combined strength of 60 or less for the 2 year course) the teaching faculty shall comprise of a Head in the rank of Professor/or Reader, and 4 Readers/Lecturers.

c) Each M.P.Ed. student shall be associated with the supervisors of the internship programme of B.P.Ed. students for acquiring experience of organizing and supervising internship-in-teaching programme.

d) Part time coaches for specialisations offered,other than those covered by full-ime teachers and a medical officer,shall be appointed.

5. Qualifications of Teaching Staff

a) Professor

- ☞ M.P.Ed. or M.P.E.
- ☞ Ph.D. or equivalent published work
- ☞ At least 10 years' experience of teaching in M.P.Ed./M.P.E programmes.

Or

An outstanding scholar with established reputation who has made significant contribution to knowledge

b) Reader

- ☞ Good academic record with M.P.Ed./M.P.E. with at least 55% marks
- ☞ Ph.D. or equivalent published research work
- ☞ At least 5 years' experience of teaching in B.P.Ed./M.P.Ed./M.P.E programmes.

c) Lecturer

- ☞ Good academic record with M.P.Ed./M.P.E with 55% marks

d) A relaxation of 5% may be provided, from 55% to 50% of the marks, at the Master's level for SC/ST category.

e) Apart from the qualifications prescribed at (a), (b) and (c) above, the candidates shall be required to have such other qualifications as may be prescribed by other regulatory bodies like the University Grants Commission (UGC), etc.

27/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

f) Qualifications for coaches/medical officer shall be such as may be prescribed by the concerned affiliating university/UGC.

6. Administrative Staff

The administrative and other support staff may be provided as per the norms prescribed by the concerned State Government/affiliating university.

7. Infrastructural Facilities

a) There shall be adequate number of classrooms and one multi-purpose hall of a size essential for conducting instructional activities for 30 students, room for the Principal, faculty members, and office-cum-store for the administrative staff. Size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student.

b) There shall be a library equipped with adequate number of text and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopaedia, year books, electronic publications (CD-ROMs) and journals on physical education and related subjects, and other software relevant thereto.

c) There shall be a multi purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.

d) There shall be adequate equipment for various indoor and outdoor sports and games.

8. Instructional Facilities

a) There shall be a Health Education, Physiotherapy and Sports Medicine laboratory with the following equipments:

(i) A standard weighing machine
(ii) An anthropometer/ height stand
(iii) Desirable weight and height tables
(iv) Infrared Lamp
(v) Ultraviolet Lamp
(vi) Short wave diathermy
(vii) Motorized tread mill
(viii) Bicycle Ergometer
(ix) B.P. Apparatus
(x) Harward step test equipment

b) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology – intelligence tests (performance, verbal, non-verbal) aptitude tests, creativity tests, personality test, attitude test, interest inventories, etc.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

2765 GI/2001—10

IndiaCode

397

c) There shall be a Physiology Laboratory with the following equipment.

(i) Metronomes-1
(ii) Models and charts of various body systems
(iii) Stopwatches-5
(iv) Spirometers-2
(v) Electronic barometer
(vi) Weighing machines-2
(vii) Peak flow meter –1
(viii) Goniometer-1
(ix) Dynamometers(hand, leg back)–1 each

d) There shall be an Educational Technology and Media Laboratory with hardware and software required for imparting Information Technology (IT) literacy and for using digital resources in teacher education.

9. **Terms and Conditions of Service of Staff**

a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University, whichever is applicable.

b) All appointments are to be made on full-time and regular basis.

c) Government institution/Government-aided institutions, may make appointments on deputation or contract basis as an interim measure, in the absence of availability of suitable candidates recommended by appropriate bodies set up by the concerned government.

d) Appointment of part-time instructors and other staff can be made as per the norms of the concerned Government.

e) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned State Government/University from time to time.

f) The management of the institution shall discharge the statutory obligations relating to pension, gratuity, provident fund, etc.

g) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of the concerned Government subject to maximum age not exceeding 65 years.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

10. Financial Management

a) The tuition fees and other fees shall be charged at rates as prescribed by the concerned State Government.

b) In case of private and unaided institutions there shall be an endowment fund of Rs.5.00 lakh to be operated jointly by the authorised representative of the management and an officer of the concerned Regional Committee, and a reserve fund equivalent to three months' salary of the staff.

S. K. RAY, Member-Secy.

[ADVT. III/IV/131/2001/Exty.]

Attested
27/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

399